# डायवर्सन की सूचना से संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं पटवारी के प्रश्न व उत्तर (FAQ)

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | **क्या आवेदक का भूमिस्वामी होना अनिवार्य है?** | नहीं, आवेदक भूमिस्वामी द्वारा अधिकृत व्यक्ति भी हो सकता है। अधिकृत किये जाने का दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। |
| 2. | **क्या संस्था भूमि स्वामी के रूप में डायवर्सन के लिए आवेदन कर सकती है?** | हां, संस्था कि लिये डायवर्सन इंटिमेशन आवेदन संस्था द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। |
| 3. | **व्यपवर्तन सूचना हेतु आवेदन करते समय कौन-कौन से दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है?** | आवेदक का ID Proof, Address Proof और भूमि-स्वामी द्वारा जारी अधिकार पत्र या सहमति पत्र (आवेदक यदि आवेदक भूमि स्वामी नही है तो) व्यपवर्तन का स्कैच (यदि एक से अधिक प्रयोजन अथवा आंशिक क्षेत्रफल का व्यपवर्तन कराया जा रहा है)। |
| 4. | **क्या उपयोगकर्ता एक ही आवेदन में एक या अधिक व्यपवर्तन प्रयोजनों के लिए आवेदन कर सकता है?** | हां। |
| 5. | **भूमि क्षेत्रफल का माप यदि एकड़/ दशमलव/ हेक्टेयर/ वर्ग फुट में है, क्या पोर्टल इस माप को स्वीकार करेगा?** | नहीं, डायवर्सन क्षेत्रफल केवल वर्ग मीटर (Sq. Meter) में ही भरा जाना आवश्यक है। |
| 6. | **क्या डायवर्सन आवेदन करते समय पृथक से खसरा और नक्शा की प्रति आवश्यक है?** | नहीं, व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन करने के साथ ही आवेदक को खसरा और नक्शा की प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर प्रदान की जाती है जो अन्य दस्तावेज़ के साथ सिस्टम द्वारा स्वत: संलग्न की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| **7.** | **उपयोगकर्ता द्वारा व्यपवर्तनकी सूचना का आवेदन गलत प्रयोजन अथवा गलत क्षेत्रफल चयन किये जाने की स्थिति में क्या रद्द किया जा सकता है?** | नहीं। गणना की जॉच कर सही होने पर पुष्टि की जाना है। उसके पश्चात वह व्यक्ति पुन: संशोधित व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन कर सकता है। |
| **8.** | **व्यपवर्तन सूचना आवेदन के अनुमोदन के लिए समय सीमा क्या है?** | 30 दिवस। |
| **9.** | **क्या भूमिस्वामी को डायवर्ट किए गए उद्देश्य के साथ भूमि उस प्रयोजन में उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है?** | नहीं। उसे यह अधिकार तक प्राप्त होता है जब वह सक्षम स्थानीय निकाय से विधिवत निर्माण की अनुमति प्राप्त कर लेता है। |
| **10.** | **व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन जमा करने के बाद क्या यह स्थिति लैंड रिकॉर्ड में दिखाई देती है?** | हां, आवेदन संख्या और ट्रेजरी में भुगतान किए गए चालान व राशि के साथ एक प्रविष्टि खसरा फॉर्म के टिप्पणी कॉलम में दर्ज की जाती है। |
| **11.** | **क्या उपखण्ड अधिकारी व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन अस्वीकार कर सकते है?** | नहीं, इस स्तर पर केवल प्रीमियम एवं भू-राजस्व की गणना की जॉच उन्हें करना है। आवेदक द्वारा जमा राशि यदि कम है तो अंतर की राशि की सूचना आवेदक को ऑनलाइन भेजना है। राशि सही या अधिक जमा है जो समायोजन करते हुए पुष्टि की जाना है। भौतिक जॉच की आवश्यकता इस स्तर की नहीं है। |
| **12.** | **आवेदक द्वारा व्यपवर्तन की सूचना आवेदन के साथ जमा राशि कम होने पर क्या करना होगा?** | उपखण्ड अधिकारी द्वारा गणना की जॉच के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा कम राशि जमा की गयी है तो उपखण्ड अधिकारी पोर्टल के माध्यम से आवेदक को अन्तर की राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी करेगा तथा पोर्टल द्वारा संबंधित ग्राम की प्रीमियम एवं भू-राजस्व की गणना त्रुटिपूर्ण |

| | | |
|---|---|---|
| | | की जा रही है इस तथ्य से आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश को कलेक्टर के माध्यम से तत्काल अवगत करावेगा।<br><br>आवेदक को सूचना प्राप्त होने पर अन्तर की राशि ऑनलाइन जमा करने की सुविधा उसे पोर्टल पर प्राप्त है वह अन्तर की राशि जमा करेगा। राशि जमा होने पर व्यपवर्तन की सूचना की पुष्टि की जावेगी। |
| **13.** | **यदि लम्बे समय तक उपखण्ड अधिकारी व्यपवर्तन की सूचना के आवेदन की पुष्टि नहीं करता है तो क्या होगा?** | व्यपवर्तन के निर्देश दिनांक 07-06-2019 की कंडिका 5(3) के अनुसार आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के बाद सिस्टम राजस्व अभिलेखों में इस टीप के साथ अमल करेगा कि यह अमल "उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अध्यधीन दर्ज" है।जो भी पुष्टि आदेश किया जावेगा उसके अनुसार यह प्रविष्टि परिवर्तित होगी। |
| **14.** | **व्यपवर्तन की सूचना में जो भूमि दर्शित है उसका भूअर्जन का नोटिफिकेशन हो चुका है उसे कैसे पुष्ट किया जावे?** | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 की धारा ५९ के अनुसार पुनर्निर्धारण कर पुष्टि की जा सकती है \| भूअर्जन के नोटिफिकेशन दिनांक अनुसार उपयोग को ही मान्य किये जाये \| |
| **15.** | **आवेदक द्वारा व्यपवर्तन की सूचना ऑनलाइन दर्ज की गयी एवं चालान भी ऑनलाइन जमा किया गया अब समक्ष में उपस्थित होकर आवेदन निरस्त करने व राशि वापस करने का आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जावे?** | आवेदन निरस्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है \| आवेदक पुनः आवेदन कर भूमि प्रयोजन परिवर्तित कर सकता है \| ऐसी स्थिति में भी भुगतान की गए राशि वापिस नहीं की जायेगी \| |
| **16.** | **आवेदक द्वारा व्यपवर्तन की सूचना के साथ सहखातेदारों की** | व्यपवर्तन किया जाये \| सहखातेदार पुनः आवेदन कर व्यपवर्तन को परिवर्तित कर सकता है \| |

| | | |
|---|---|---|
| | **सहमति नहीं अपलोड की है। ऐसी स्थिति में क्या किया जावे?** | |
| **17.** | **आवेदक द्वारा व्यपवर्तन की सूचना के साथ व्यपवर्तन का स्कैच नहीं अपलोड किया जबकि आंशिक व्यपवर्तन का आवेदन किया है। ऐसी स्थिति में क्या किया जावे?** | व्यपवर्तन किया जाये \| पटवारी द्वारा मौके पर जाकर भूमि का सत्यापन किया जा सकता है \| |
| **18.** | **व्यपवर्तन की सूचना में जो भूमि दर्शित है वह भूमि निवेश योजना में उस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं है जिसके लिए व्यपवर्तन का आवेदन है तब उसे कैसे पुष्ट किया जावे?** | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 की धारा ५९ के अनुसार पुनर्निर्धारण कर पुष्टि की जा सकती है \| |
| **19.** | **डायवर्सन इंटिमेशन में पटवारी की क्या भूमिका है?** | प्रारंभिक रूप में कोई भूमिका नहीं है। पुष्टि आदेश होने पर अमल हेतु उसकी बकेट में प्रकरण उपलब्ध होगा बटांक होने पर यदि संभव हुआ तो वह नक्शा में तरमीम करेगा। |
| **20.** | **पटवारी द्वारा बिना सूचना डायवर्सन का प्रतिवेदन किस पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा?** | भूलेख पोर्टल पर https://mpbhulekh.gov.in उसके लॉगइन पर उपलब्ध "बिना सूचना व्यपवर्तन" मॉडयूल द्वारा किया जावेगा। प्रतिवेदन पूर्ण करते ही इस पोर्टल से प्रतिवेदन RCMS पोर्टल पर उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में पहुंचेगा। |
| **21.** | **क्या बिना सूचना डायवर्सन के माध्यम से पहले से कृषि से अन्य उपयोग में ली जा रही भूमि पर दर्ज निर्माण के लिये ही प्रतिवेदन दिया जाना होगा?** | हां। यदि भूमिस्वामी ऐसे व्यपवर्तन की सूचना प्रतिवेदन दिनांक तक स्वयं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष न प्रस्तुत की हो। |

| | | |
|---|---|---|
| 22. | **कृषि भूमि पर निर्मित कितने पुराने निर्माणों को बिना सूचना डायवर्सन के अर्न्तगत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है?** | किसी भी निर्माण का सूचना दी जा सकती है \| |
| 23. | **क्या भूमि स्वामी की बिना अनुमति के बिना सूचना डायवर्सन दर्ज किया जा सकता है?** | हां, बिना इंटिमेशन के डायवर्सन को पटवारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। |
| 24. | **बिना सूचना डायवर्सन का प्रकरण दर्ज करने की स्थिति में आवेदक (पटवारी या भूमि स्वामी) कौन होगा?** | मध्यप्रदेश शासन |
| 25. | **क्या बिना सूचना डायवर्सन दर्ज करने हेतु चाहे गए दस्तावेज प्रदान किया जाना आवश्यक है, यदि दस्तावेज उपलब्ध ना हो तो क्या करें?** | दस्तावेज़ अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर दस्तावेज़ अपलोड किया जाता है तो यह एसडीओ कोर्ट में निर्णय लेने में मदद करेगा। |
| 26. | **यदि बिना सूचना डायवर्सन दर्ज करने हेतु भूमि स्वामी का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी ना हो तो क्या करे?** | एमपी ट्रेजरी भुगतान के समय भूमिस्वामी का मोबाइल अनिवार्य है। |
| 27. | **लंबित आवेदन किस स्त्रौंत से दर्ज हैं जैसे गिरदावरी, पीएम् किसान एवं सेटेलाइट डाटा, इसे कैसे पहचाना जा सकता हैं?** | गिरदावरी, पीएम किसान एवं सैटेलाइट डाटा के लिये रिपोर्ट उपलब्ध है। |
| 28. | **अन्य सोर्स प्राप्त आवेदनों में आवेदक कौन होगा?** | अन्य सोर्स से प्राप्त डायवर्सन लैंड सूचना “Diversion without Intimation” module पर उपलब्ध है। |
| 29. | **पांच जिलो के अलावा अन्य जिलों की सेटेलाइट से diversion** | कुछ समय बाद अधिक जिलों का डेटा उपलब्ध हो जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| | **image नहीं देखी जा रही है, इस हेतु क्या करें?** | |
| **30.** | **डायवर्सन दर्ज करने हेतु स्थानीय निकाय नगरीय याग्रामीण है इसको कैसे वेरीफाई करें?** | https://mpbhulekh.gov.in/ पोर्टल पर रिपोर्ट्स सेक्शन में डाउनलोड ग्राम सूची रिपोर्ट को डाउनलोड किया सकता है \| इस सूची का उपयोग कर स्थानीय निकाय नगरीय या ग्रामीण है यह सत्यापित किया जा सकता है \| |
| **31.** | **पटवारी द्वारा भेजा गया बिना सूचना व्यपवर्तन प्रतिवेदन यदि WebGIS में एस डी ओ लागिन पर नही दिख रहा है तब क्या करें?** | व्यपवर्तन से सम्बंधित समस्यायों के निराकरण के लिये टोल फ्री नंबर 1800 233 6763 पर संपर्क किया सकता है तथाhttps://mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर ग्रीवेंस सेक्शन में शिकायत भी दर्ज की जा सकती है |
| **32.** | **व्यपवर्तन के प्रकरणों का एस0डी0ओ0 द्वारा निराकरण किस पोर्टल पर किया जायेगा?** | यदि पटवारी ने बिना सूचना व्यपवर्तन का प्रतिवेदन दिया है तो यह एसडीओ द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर किया जाएगा, लेकिन अगर भूमि-स्वामी ने डायवर्सन इंटिमेशन प्रस्तुत किया है, तो एसडीओ भुलेख पोर्टल पर ही प्रक्रियापूर्ण करेंगे। |
| **33.** | **आर0सी0एम0एस के पोर्टल पर डायवर्सन प्रकरण को कैसे खोजे?** | व्यपवर्तन से सम्बंधित समस्यायों के निराकरण के लिये टोल फ्री नंबर 1800 233 6763 पर संपर्क किया सकता है तथाhttps://mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर ग्रीवेंस सेक्शन में शिकायत भी दर्ज की जा सकती है |
| **34.** | **क्या आर0सी0एम0एस के पोर्टल पर बिना सूचना व्यपवर्तन के प्रकरणों परअर्थदंड लगाना अनिवार्य है?** | हां , अनिवार्य है \| |

| | | |
|---|---|---|
| 35. | **एस0डी0ओ0 डायवर्सन की सूचना का प्रकरण किस प्रकार से निरस्त कर सकते हैं?** | नहीं, एस0डी0ओ0 डायवर्सन प्रकरण निरस्त नही कर सकते। |
| 36. | **पूर्व में निरस्त किये गये डायवर्सन प्रकरण का शुल्क भूमि-स्वामी को कैसे वापिस होगा?** | रद्द किए गए डायवर्सन इंटिमेशन केस के लिए MP ट्रेजरी में दिया गया डायवर्सन शुल्क SDO द्वारा निर्देशित ट्रेजरी ऑफिसर द्वारा ऑफलाइन मोड में लौटाया जा सकता है। |
| 37. | **क्या RCMS में डायवर्सन एवं बिना सूचना डायवर्सन की प्रक्रिया को ऑफलाइन भी दर्ज किया जा सकता है?** | नहीं । |
| 38. | **क्या वकील, आई टी सेंटर या अन्य के द्वारा डायवर्सन की प्रक्रिया की जा सकती है?** | हां, अगर वकील के पास भूमिस्वामी का वैध प्राधिकरण है, तो वकील डायवर्शन के लिए आवेदन कर सकता है। आईटी सेंटर संचालक भौमस्वामी से प्राप्त डायवर्सन इंटिमेशन भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन वह MP Treasury में जमा करने के लिए डायवर्सन शुल्क नगद प्राप्त नहीं कर सकता है। |
| 39. | **क्या एस0डी0ओ0 द्वारा भूमि का बिना सूचना व्यपवर्तन की स्थिति में व्यपवर्तन का प्रकार क्षेत्र एवं राशि को परिवर्तित किया जा सकता है?** | हां, एस0डी0ओ0 द्वारा भूमि का बिना सूचना व्यपवर्तन की स्थिति में व्यपवर्तन का प्रकार क्षेत्र एवं राशि को परिवर्तित किया जा सकता है \| |
| 40. | **अन्य प्रयोजन से कृषि प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की स्थिति में व्यपवर्तन का शुल्क शून्य होता हैं, इस स्थिति में क्या करे?** | इस तरह के मामले में डायवर्सन इंटिमेशन प्रस्तुत किया जा सकता है और डायवर्जन शुल्क का भुगतान एमपी ट्रेजरी में नहीं किया जाना चाहिए। सिस्टम MP Treasury वेबपेज पर आवेदक को पुन: प्रेषित नहीं करेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| **41.** | **अपूर्ण आवेदन की स्थिति में क्या करेंगे?** | मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 की धारा 32 के अनुसार समीक्षा कर पुष्टि की जाये \| |
| **42.** | **क्या डायवर्सन के बाद बटांकन किया जाना आवश्यक है?** | यदि आंशिक रूप से डायवर्सन या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए डायवर्सन है तो हाँ सिस्टम स्वत: ही खसरा का विभाजन करेगा। |